



प्रेषक,

लाल बहादुर यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक

08 अप्रैल, 2026

विषय:- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत वचनबद्ध योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु स्वीकृत आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष अनुदान संख्या-11 में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी०ए०/02/वित्तीय स्वीकृति 2026-27, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 में कृषि विभाग की वचनबद्ध योजनाओं के लिए अनुदान संख्या-11 में कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के व्यय को वहन करने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू० 160783.74 लाख के सापेक्ष रू० 160783.73 लाख (रूपये सोलह अरब सात करोड़ तिरासी लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित योजनावार/मदवार तथा नियम/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वहन पर रखकर अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रू० में)

लेखाशीर्षक	प्राविधान 2026-27	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
2401-फसल कृषि कर्म	122365.37	122365.36
2402-मृदा तथा जल संरक्षण	37555.18	37555.18
2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	863.19	863.19
कुल योग	160783.74	160783.73

(रूपये सोलह अरब सात करोड़ तिरासी लाख तिहत्तर हजार मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

- उक्त स्वीकृत धनराशि पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होंगे तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16ए के नियम इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में उल्लिखित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-ए-2364/दस-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में अनुल्लिखित नियमावली का भी परिपालन किया जायेगा।
- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एकमुश्त धनराशि का आहरण न करते हुए आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरण फेंजिंग के आधार पर सुनिश्चित की जाए। जहाँ तक संभव हो व्यय की फेंजिंग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाए।
- जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाए।
- व्यय प्रतिनिधानित अधिकारों की सीमा के अधीन ही किया जायेगा तथा जहाँ कहीं भी शासन की स्वीकृति व्यय हेतु आवश्यक हो उसे यथासमय प्राप्त कर लिया जाय और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय को सीमित रखा जाए।
- धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों तथा व्यय बचत आयोग की संस्तुतियों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7. कृषि विश्वविद्यालय हेतु व्यावस्थित धनराशि उनको आवंटित की जाए तथा अनुदान का देयक जो कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बनाया जायेगा, वह कुलपति और अर्थ नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा। इस देयक पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। कृषि विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति अनुदान की धनराशि को आहरण के उपरान्त कृषि निदेशालय को सूचित करेंगे।
8. बीएम-13 के निर्धारित प्रपत्र पर मासिक व्यय विवरण समय से वित्त विभाग को उपलब्ध कराते हुए उसकी तीन प्रतियां शासन के कृषि अनुभाग-5 को उपलब्ध कराया जाए।
9. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्षक: 2401000010300 (कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान)**

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	01 वेतन	53,87,14,000 (रुपये तिरेपन करोड़ सत्तासी लाख चौदह हजार मात्र)
2	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	02 मजदूरी	26,00,000 (रुपये छब्बीस लाख मात्र)
3	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	35,01,64,000 (रुपये पैंतीस करोड़ एक लाख चौंसठ हजार मात्र)
4	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	04 यात्रा व्यय	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
5	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
6	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
7	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
8	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	09 विद्युत देय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
9	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	10 जलकर / जल प्रभार	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
10	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
11	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	51,25,000 (रुपये इक्कावन लाख पच्चीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

12	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	13 टेलीफोन पर व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
13	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
14	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
15	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
16	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	29 अनुरक्षण	53,00,000 (रुपये तिरपन लाख मात्र)
17	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	42 अन्य व्यय	1,31,50,000 (रुपये एक करोड़ इकतीस लाख पचास हजार मात्र)
18	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	32,00,000 (रुपये बत्तीस लाख मात्र)
19	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	45 अवकाश यात्रा व्यय	2,10,000 (रुपये दो लाख दस हजार मात्र)
20	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	58,90,000 (रुपये अठ्ठावन लाख नब्बे हजार मात्र)
21	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	94,85,000 (रुपये चौरानवे लाख पचासी हजार मात्र)
22	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	1,10,00,000 (रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र)
23	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	51 वर्दी व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
24	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	4,25,00,000 (रुपये चार करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
25	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
	कुल			1,01,67,88,000 (रुपये एक अरब एक करोड़ सड़सठ लाख अठ्ठासी हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्ष: 2401000010500 (जिला संगठन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2401000010500 जिला संगठन	01 वेतन	1,07,56,25,000 (रुपये एक अरब सात करोड़ छप्पन लाख पच्चीस हजार मात्र)
2	011	2401000010500 जिला संगठन	03 मंहगाई भत्ता	69,91,56,000 (रुपये उनहत्तर करोड़ इक्क्यानबे लाख छप्पन हजार मात्र)
3	011	2401000010500 जिला संगठन	04 यात्रा व्यय	45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)
4	011	2401000010500 जिला संगठन	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
5	011	2401000010500 जिला संगठन	06 अन्य भत्ते	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
6	011	2401000010500 जिला संगठन	08 कार्यालय व्यय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
7	011	2401000010500 जिला संगठन	09 विद्युत देय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
8	011	2401000010500 जिला संगठन	10 जलकर / जल प्रभार	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
9	011	2401000010500 जिला संगठन	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
10	011	2401000010500 जिला संगठन	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
11	011	2401000010500 जिला संगठन	13 टेलीफोन पर व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
12	011	2401000010500 जिला संगठन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
13	011	2401000010500 जिला संगठन	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
14	011	2401000010500 जिला संगठन	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
15	011	2401000010500 जिला संगठन	29 अनुरक्षण	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
16	011	2401000010500 जिला संगठन	42 अन्य व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
17	011	2401000010500 जिला संगठन	45 अवकाश यात्रा व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

18	011	2401000010500 जिला संगठन	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
19	011	2401000010500 जिला संगठन	49 चिकित्सा व्यय	1,40,00,000 (रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र)
20	011	2401000010500 जिला संगठन	51 वर्दी व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
21	011	2401000010500 जिला संगठन	55 मकान किराया भत्ता	4,75,00,000 (रुपये चार करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)
22	011	2401000010500 जिला संगठन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	48,25,000 (रुपये अड़तालीस लाख पच्चीस हजार मात्र)
	कुल			1,87,46,06,000 (रुपये एक अरब सत्तासी करोड़ छियालीस लाख छह हजार मात्र)

लेखाशीर्षक: 2401001030300 (प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	01 वेतन	13,52,39,000 (रुपये तेरह करोड़ बावन लाख उनतालीस हजार मात्र)
2	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	02 मजदूरी	20,28,28,000 (रुपये बीस करोड़ अट्ठाईस लाख अट्ठाईस हजार मात्र)
3	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	03 मंहगाई भत्ता	8,79,05,000 (रुपये आठ करोड़ उनासी लाख पाँच हजार मात्र)
4	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	04 यात्रा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
5	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	06 अन्य भत्ते	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
7	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	08 कार्यालय व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
8	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	09 विद्युत देय	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

9	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
10	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
11	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	13 टेलीफोन पर व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
12	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
13	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
14	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	29 अनुरक्षण	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
15	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	42 अन्य व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
16	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)
17	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
18	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
19	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2,40,000 (रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र)
20	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	49 चिकित्सा व्यय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
21	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	51 वर्दी व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
22	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	55 मकान किराया भत्ता	14,30,000 (रुपये चौदह लाख तीस हजार मात्र)
	कुल			55,67,62,000 (रुपये पचपन करोड़ सड़सठ लाख बासठ हजार मात्र)

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्ष: 2401001050300 (उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	01 वेतन	1,52,46,000 (रुपये एक करोड़ बावन लाख छियालीस हजार मात्र)
2	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	02 मजदूरी	5,90,000 (रुपये पाँच लाख नब्बे हजार मात्र)
3	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	03 मंहगाई भत्ता	99,10,000 (रुपये नित्यानवे लाख दस हजार मात्र)
4	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	04 यात्रा व्यय	1,80,000 (रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र)
5	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	42,000 (रुपये बयालीस हजार मात्र)
6	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	06 अन्य भत्ते	4,000 (रुपये चार हजार मात्र)
7	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	08 कार्यालय व्यय	1,58,000 (रुपये एक लाख अठ्ठावन हजार मात्र)
8	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	09 विद्युत देय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
9	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	10 जलकर / जल प्रभार	3,06,000 (रुपये तीन लाख छह हजार मात्र)
10	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
11	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
12	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
13	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	5,91,000 (रुपये पाँच लाख इक्यानवे हजार मात्र)
14	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	29 अनुरक्षण	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

15	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	42 अन्य व्यय	1,60,000 (रुपये एक लाख साठ हजार मात्र)
16	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	39,50,000 (रुपये उनतालीस लाख पचास हजार मात्र)
17	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
18	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	45 अवकाश यात्रा व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
19	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
20	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	90,000 (रुपये नब्बे हजार मात्र)
21	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	49 चिकित्सा व्यय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
22	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	51 वर्दी व्यय	15,000 (रुपये पन्द्रह हजार मात्र)
23	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	55 मकान किराया भत्ता	13,83,000 (रुपये तेरह लाख तिरासी हजार मात्र)
24	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	67,00,000 (रुपये सड़सठ लाख मात्र)
	कुल			4,25,10,000 (रुपये चार करोड़ पच्चीस लाख दस हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2401001070300 (पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	01 वेतन	1,13,94,59,000 (रुपये एक अरब तेरह करोड़ चौरानबे लाख उनसठ हजार मात्र)
2	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	03 मंहगाई भत्ता	74,06,48,000 (रुपये चौहत्तर करोड़ छह लाख अड़तालीस हजार मात्र)
3	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	04 यात्रा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

4	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
5	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	06 अन्य भत्ते	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
6	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	08 कार्यालय व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
7	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	09 विद्युत देय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
8	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	10 जलकर / जल प्रभार	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
9	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)
10	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
11	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	13 टेलीफोन पर व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
12	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
13	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
14	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
15	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	29 अनुरक्षण	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
16	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	42 अन्य व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
17	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
18	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
19	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		रक्षा सेवा		
20	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
21	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	49 चिकित्सा व्यय	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
22	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	51 वर्दी व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
23	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	55 मकान किराया भत्ता	6,24,04,000 (रुपये छह करोड़ चौबीस लाख चार हजार मात्र)
24	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
	कुल			1,96,05,11,000 (रुपये एक अरब छियानबे करोड़ पाँच लाख ग्यारह हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2401001090300 (कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	01 वेतन	3,75,09,07,000 (रुपये तीन अरब पचहत्तर करोड़ नौ लाख सात हजार मात्र)
2	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	02 मजदूरी	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
3	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	03 मंहगाई भत्ता	2,43,80,90,000 (रुपये दो अरब तैंतालीस करोड़ अस्सी लाख नब्बे हजार मात्र)
4	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	04 यात्रा व्यय	45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)
5	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
6	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	06 अन्य भत्ते	2,86,28,000 (रुपये दो करोड़ छियासी लाख अट्ठाईस हजार मात्र)
7	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	08 कार्यालय व्यय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

8	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	09 विद्युत देय	3,65,00,000 (रुपये तीन करोड़ पैंसठ लाख मात्र)
9	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	10 जलकर / जल प्रभार	45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)
10	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
11	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
12	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	13 टेलीफोन पर व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
13	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	70,50,000 (रुपये सत्तर लाख पचास हजार मात्र)
14	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
15	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
16	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	29 अनुरक्षण	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
17	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	42 अन्य व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
18	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
19	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	45 अवकाश यात्रा व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
20	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	60,000 (रुपये साठ हजार मात्र)
21	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,10,000 (रुपये एक लाख दस हजार मात्र)
22	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	49 चिकित्सा व्यय	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
23	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा	51 वर्दी व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		प्रदर्शनियां		
24	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	55 मकान किराया भत्ता	20,71,84,000 (रुपये बीस करोड़ इकहत्तर लाख चौरासी हजार मात्र)
	कुल			6,50,88,29,000 (रुपये छह अरब पचास करोड़ अठ्ठासी लाख उनतीस हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2401001110300 (कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	01 वेतन	14,24,22,000 (रुपये चौदह करोड़ चौबीस लाख बाईस हजार मात्र)
2	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	02 मजदूरी	1,09,23,000 (रुपये एक करोड़ नौ लाख तेईस हजार मात्र)
3	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	03 मंहगाई भत्ता	9,25,74,000 (रुपये नौ करोड़ पच्चीस लाख चौहत्तर हजार मात्र)
4	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	04 यात्रा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
5	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	07 मानदेय	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
7	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	08 कार्यालय व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
8	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,15,000 (रुपये तीन लाख पन्द्रह हजार मात्र)
9	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
10	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	13 टेलीफोन पर व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
11	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

12	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	42 अन्य व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
13	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
14	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	45 अवकाश यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
15	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
16	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
17	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	49 चिकित्सा व्यय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
18	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	51 वर्दी व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
19	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	55 मकान किराया भत्ता	67,30,000 (रुपये सड़सठ लाख तीस हजार मात्र)
	कुल			27,25,74,000 (रुपये सत्ताईस करोड़ पच्चीस लाख चौहत्तर हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2401001110400 (कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	01 वेतन	15,40,000 (रुपये पन्द्रह लाख चालीस हजार मात्र)
2	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	03 मंहगाई भत्ता	10,01,000 (रुपये दस लाख एक हजार मात्र)
3	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	04 यात्रा व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
4	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	08 कार्यालय व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

5	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	40,000 (रुपये चालीस हजार मात्र)
6	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	29 अनुरक्षण	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
7	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	42 अन्य व्यय	60,000 (रुपये साठ हजार मात्र)
8	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	45 अवकाश यात्रा व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
9	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	49 चिकित्सा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
10	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	51 वर्दी व्यय	5,000 (रुपये पाँच हजार मात्र)
11	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	55 मकान किराया भत्ता	80,000 (रुपये अस्सी हजार मात्र)
	कुल			39,56,000 (रुपये उनतालीस लाख छप्पन हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2402000010300 (अधिष्ठान व्यय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	01 वेतन	8,69,23,000 (रुपये आठ करोड़ उनहत्तर लाख तेईस हजार मात्र)
2	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	03 मंहगाई भत्ता	5,65,00,000 (रुपये पाँच करोड़ पैंसठ लाख मात्र)
3	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	04 यात्रा व्यय	1,80,000 (रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र)
4	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
5	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	06 अन्य भत्ते	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
6	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	08 कार्यालय व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
7	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	09 विद्युत देय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

8	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
9	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
10	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	13 टेलीफोन पर व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
11	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
12	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	29 अनुरक्षण	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
13	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	42 अन्य व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
14	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
15	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
16	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
17	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	49 चिकित्सा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
18	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	51 वर्दी व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
19	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	55 मकान किराया भत्ता	70,00,000 (रुपये सत्तर लाख मात्र)
	कुल			15,40,03,000 (रुपये पन्द्रह करोड़ चालीस लाख तीन हजार मात्र)

लेखाशीर्षक: 2402001010300 (मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	01 वेतन	2,07,61,81,000 (रुपये दो अरब सात करोड़ इकसठ लाख इक्यासी हजार मात्र)
2	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	02 मजदूरी	3,75,000 (रुपये तीन लाख पचहत्तर हजार मात्र)
3	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	03 मंहगाई भत्ता	1,34,95,18,000 (रुपये एक अरब चौतीस करोड़ पंचानवे लाख अठारह हजार मात्र)

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

4	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	04 यात्रा व्यय	71,20,000 (रुपये इकहत्तर लाख बीस हजार मात्र)
5	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
6	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	06 अन्य भत्ते	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
7	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	08 कार्यालय व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
8	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	09 विद्युत देय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
9	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	10 जलकर / जल प्रभार	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
10	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
11	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
12	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	13 टेलीफोन पर व्यय	7,50,000 (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)
13	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
14	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
15	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	29 अनुरक्षण	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
16	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	42 अन्य व्यय	53,00,000 (रुपये तिरेपन लाख मात्र)
17	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

18	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	45 अवकाश यात्रा व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
19	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
20	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
21	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	49 चिकित्सा व्यय	1,20,00,000 (रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र)
22	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	51 वर्दी व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
23	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	55 मकान किराया भत्ता	10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)
	कुल			3,57,76,44,000 (रुपये तीन अरब सत्तावन करोड़ छिहत्तर लाख चौवालीस हजार मात्र)

लेखाशीर्षः 2402001010400 (प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढीकरण योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढीकरण योजना	01 वेतन	86,22,000 (रुपये छियासी लाख बाईस हजार मात्र)
2	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढीकरण योजना	02 मजदूरी	6,50,000 (रुपये छह लाख पचास हजार मात्र)
3	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढीकरण योजना	03 मंहगाई भत्ता	56,04,000 (रुपये छप्पन लाख चार हजार मात्र)
4	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढीकरण योजना	04 यात्रा व्यय	1,32,000 (रुपये एक लाख बत्तीस हजार मात्र)
5	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढीकरण योजना	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,10,000 (रुपये एक लाख दस हजार मात्र)
6	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजी-	06 अन्य भत्ते	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढीकरण योजना		
7	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजी-वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढीकरण योजना	08 कार्यालय व्यय	1,35,000 (रुपये एक लाख पैंतीस हजार मात्र)
8	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजी-वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढीकरण योजना	09 विद्युत देय	55,00,000 (रुपये पचपन लाख मात्र)
9	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजी-वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढीकरण योजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	83,000 (रुपये तिरासी हजार मात्र)
10	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजी-वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढीकरण योजना	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	55,000 (रुपये पचपन हजार मात्र)
11	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजी-वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढीकरण योजना	29 अनुरक्षण	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
12	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजी-वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढीकरण योजना	42 अन्य व्यय	55,000 (रुपये पचपन हजार मात्र)
13	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजी-वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढीकरण योजना	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	8,80,000 (रुपये आठ लाख अस्सी हजार मात्र)
14	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजी-वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढीकरण योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	22,000 (रुपये बाईस हजार मात्र)
15	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजी-वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढीकरण योजना	45 अवकाश यात्रा व्यय	22,000 (रुपये बाईस हजार मात्र)
16	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजी-वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढीकरण योजना	49 चिकित्सा व्यय	9,90,000 (रुपये नौ लाख नब्बे हजार मात्र)
17	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजी-वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढीकरण योजना	51 वर्दी व्यय	11,000 (रुपये ग्यारह हजार मात्र)
18	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजी-वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढीकरण योजना	55 मकान किराया भत्ता	8,50,000 (रुपये आठ लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			2,38,71,000 (रुपये दो करोड़ अड़तीस लाख इकहत्तर हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्ष: 2415010040300 (उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	01 वेतन	18,50,000 (रुपये अठारह लाख पचास हजार मात्र)
2	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	03 मंहगाई भत्ता	12,03,000 (रुपये बारह लाख तीन हजार मात्र)
3	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	04 यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
4	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
5	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	08 कार्यालय व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
6	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	13 टेलीफोन पर व्यय	7,000 (रुपये सात हजार मात्र)
7	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	42 अन्य व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
8	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	43 सामग्री एवं सम्पत्ति	19,00,000 (रुपये उन्नीस लाख मात्र)
9	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	45 अवकाश यात्रा व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
10	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	49 चिकित्सा व्यय	3,20,000 (रुपये तीन लाख बीस हजार मात्र)
11	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	51 वर्दी व्यय	5,000 (रुपये पाँच हजार मात्र)
12	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	55 मकान किराया भत्ता	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			59,95,000 (रुपये उनसठ लाख पंचानबे हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्ष: 2415012770300 (राजकीय कृषि विद्यालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	01 वेतन	4,13,75,000 (रुपये चार करोड़ तेरह लाख पचहत्तर हजार मात्र)
2	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	02 मजदूरी	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
3	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	03 मंहगाई भत्ता	2,68,94,000 (रुपये दो करोड़ अड़सठ लाख चौरानवे हजार मात्र)
4	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	04 यात्रा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
5	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
6	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	06 अन्य भत्ते	15,55,000 (रुपये पन्द्रह लाख पचपन हजार मात्र)
7	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	08 कार्यालय व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
8	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
9	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	13 टेलीफोन पर व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
10	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
11	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	29 अनुरक्षण	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
12	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	42 अन्य व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
13	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
14	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

15	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
16	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
17	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	49 चिकित्सा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
18	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	51 वर्दी व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
19	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	55 मकान किराया भत्ता	21,00,000 (रुपये इक्कीस लाख मात्र)
	कुल			8,03,24,000 (रुपये आठ करोड़ तीन लाख चौबीस हजार मात्र)

महायोग	16,07,83,73,000 (रुपये सोलह अरब सात करोड़ तिरासी लाख तिहत्तर हजार मात्र)
--------	---

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

संख्या-23/2026/360/001-12-5002-002-1-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. निदेशक, सम्बन्धी सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।